

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.सं.) अवकाश / 2334 / 2022

दिनांक : 27.07.2022

श्रीमती अंजना अग्रवाल (RJ1180), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर को दिनांक 25.07.2022 से 20.01.2023 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान) दिनांक 23.07.2022 से 24.07.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती कृष्णा शकेश काँवत (RJ0811), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर को श्रीमती अंजना अग्रवाल के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अगिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती कृष्णा शकेश काँवत (RJ0811), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/45/2017/5369

दिनांक 27.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 1219 दिनांक 06.07.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अंजना अग्रवाल (RJ1180), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
5. श्रीमती कृष्णा शकेश काँवत (RJ0811), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार